विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.14 (81)RSSB/अर्थना/कनि.अभि./भर्ती/2020/2073 दिनांक : 03.03.2020

विज्ञापन सं. 01/2020

कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2020

सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन व पथ शाखा) सेवा नियम 1973 यथा संशोधित, जल संसाधन विभाग के लिये राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम–1967 यथा संशोधित, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिये राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम–1967 यथा संशोधित एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लिये राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (सेवा) उप नियम (Bye Laws) – 1977 यथा संशोधित के अन्तर्गत तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2014 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियंता के गैर अनुसूचित क्षेत्र 954 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 100 कुल 1054 पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड द्वारा दिनांक 13.02.2020 को संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की गई थी। अब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियंता(यांत्रिक/विद्युत) के डिग्री/डिप्लोमा के 44 पदों को भी इस भर्ती में शामिल कर एवं संबंधित विभागों से रिक्त पदों का संशोधित वर्गीकरण प्राप्त होने के कारण निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र मे बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र.सं.	विभाग का नाम	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिग्रीधारक)	254	22	276
		कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिप्लोमा धारक)	64	05	69
		कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) (डिग्रीधारक)	27	02	29
		कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) (डिप्लोमा धारक)	06	00	06
2.	जल संसाधन विभाग	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिग्रीधारक)	121	28	149
		कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिप्लोमा धारक)	280	27	307
		कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) (डिग्रीधारक)	02	00	02
		कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) (डिप्लोमा धारक)	01	03	04
3.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिग्रीधारक)	41	08	49
		कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिप्लोमा धारक)	82	02	84
		कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक/विद्युत)(डिग्रीधारक)	14	00	14
		कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक/विद्युत)(डिप्लोमाधारक)	27	03	30
4.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिग्रीधारक)	59	00	59
		कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिप्लोमा धारक)	15	00	15
		कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) (डिग्रीधारक)	04	00	04
		कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) (डिप्लोमा धारक)	01	00	01
	कुल योग		998	100	1098

विशेष नोट :–

(1) आवेदक चयन के बाद जिस विभाग में यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं राज्य कृषि विपणन बोर्ड में पदस्थापन चाहते हैं उन विभागों की प्राथमिकताओं का क्रम ऑनलाईन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अवश्य भरें। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विभागों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता कम (Merit Cum Priority) के आधार पर किया जावेगा। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में ध्यानपूर्वक विभागों की प्राथमिकता कम भरें। इसके बाद प्राथमिकता कम में संशोधन स्वीकार नही किया जावेगा।

(2) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में रिक्त कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक/विद्युत) डिग्री/डिप्लोमा के पदों पर इसी विज्ञापन के माध्यम से अलग से आवेदन आमंत्रित किये जाकर इन पदों पर भर्ती संयुक्त भर्ती के अलावा अलग से परीक्षा आयोजित की जाकर कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक/विद्युत) के पदों की संयुक्त वरियता सूची बनाकर केवल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को अभ्यर्थी उपलब्ध करवाये जायेगें। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को अन्य विभागों की यांत्रिक एवं विद्युत के डिग्री/डिप्लोमा के पद पर वरियता सूची में शामिल नहीं किया जावेगा। उन्हें इसके लिये अलग से आवेदन भरना होगा तथा कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक/विद्युत) के डिग्री/डिप्लोमा के पदो पर अलग से आवेदन भरना होगा।

(3) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जाएगा।

(4) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रकिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

1. आवेदन प्रक्रियाः— आवेदन On lineApplication Form में लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई—मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व अपना E-mail ID बनाले एवं E-mail ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई—मित्र कियोस्क/ जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई—मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की **वेबसाईट** www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमे ई—मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी केSSO ID एवं passwordसे Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नही है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेंगे। पंजीयन के उपरांत उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे। ई—मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वंय अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई—मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियो को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। सही—सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई—मित्र कियोस्क पर जमा करावें। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रूपये 30/— (रूपये 20/— आवेदन पत्र भरने हेतु + रूपये 10/— परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा । आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई—मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाईन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा। यदि आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई—मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें । ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। उपरोक्त प्रकिया से आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन भर सकता है।

अभ्यर्थी अपने SSO ID एवं password से Login करेगे। इसके पश्चात् Dashboard पर Ongoing Recuirtment पर संबंधित परीक्षा के Apply nowlink पर Click कर अपना आवेदन भरेगे। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview Page खुलेगा। अभ्यर्थी स्वंय अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुनः गहनता से जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी Update पर Click करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियो को सुधारने के बाद आवेदक पुनः अपने आवेदन का Preview देख कर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। अभ्यर्थी सही—सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click कर अपना आवेदन भरेगे। आवेदक अपना आवेदन Submit करने के बाद OK पर Click करेगें। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा। OK पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलेगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नेट बैकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ई—मित्र के माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। यदि आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई—मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें । ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई—मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन—पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

नोटः—

1. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।**
3. **आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हे आवेदन—पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन—पत्र कमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन—पत्र जमा नही हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।**
4. **कृपया ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की बेवसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा—निर्देशो का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा—निर्देशो को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।**
5. **आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई—मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाऐं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई—मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।**

2. परीक्षा शुल्कः— परीक्षा शुल्कः— आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई—मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे।

(क) सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु —रूपये 450

(ख) राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु —रूपये 350/—

(ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु —रूपये 250/—

(घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.8(3) कार्मिक/क—2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये 250/—देय है। (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 5 भी अवश्य देखें।)

नोटः—

1. आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त ई—मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C) की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
3. फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
4. फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा। बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

5. सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रूपये 250/– ही जमा कराते है, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

3. प्रवेश पत्रः–बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही आनॅलाईन प्रवेश–पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश–पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश–पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कमांक एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान मे रखे। उपलब्ध संसाधनो एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई–मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

4.कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण का विवरण :–

(क)गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिये :–

No. of Post	U.R.				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
	सामान्य	सा. महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.महिला	विधवा	परित्यक्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग																								
कनिष्ठ अभियन्ता(सिविल)(डिग्री)																								
254	64	17	07	01	32	08	3	0	19	04	1	0	41	11	04	1	10	02	1	0	20	05	02	0
बारां जिले की सहरिया जाति–01(सामान्य)दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 11 पद(HI-05,LD/CP-06) भूतपूर्व सैनिक–30, उत्कृष्ट खिलाडी–05																								
कनिष्ठ अभियन्ता(सिविल)(डिप्लोमा)																								
64	19	04	01	0	09	02	0	0	05	1	0	0	11	02	01	0	03	0	0	0	05	1	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 03 पद (HI-02,LD/CP-01) भूतपूर्व सैनिक–08,उत्कृष्ट खिलाडी–01																								
कनिष्ठ अभियन्ता(विद्युत)(डिग्री)																								
27	10	02	0	0	04	0	0	0	02	0	0	0	05	01	0	0	01	0	0	0	02	0	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 02 पद (HI-01,LD/CP-01) भूतपूर्व सैनिक–03, उत्कृष्ट खिलाडी–00																								
कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)(डिप्लोमा)																								
06	04	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 01 पद (HI-01), भूतपूर्व सैनिक–00, उत्कृष्ट खिलाडी–00																								
जल संसाधन विभाग																								
कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिग्री)																								
121	34	09	03	00	15	03	01	0	11	2	1	0	19	04	02	0	05	1	0	0	09	2	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 05 पद (B/LV-02,HI-01,LD/CP-01,MI, ID, SLD &AUTISM-1), भूतपूर्व सैनिक–14, उत्कृष्ट खिलाडी–02																								
कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिप्लोमा)																								
280	73	20	08	02	33	08	03	0	25	6	2	0	42	11	04	01	11	2	01	0	21	5	02	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 12 पद (B/LV-03,HI-03,LD/CP-03, MI, ID,SLD&AUTISM-3), भूतपूर्व सैनिक–34, उत्कृष्ट खिलाडी–05																								
कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)(डिग्री)																								
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 00 पद, भूतपूर्व सैनिक–00, उत्कृष्ट खिलाडी–00																								
कनिष्ठअभियन्ता (यांत्रिक) (डिप्लोमा)																								
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 00 पद, भूतपूर्व सैनिक–00, उत्कृष्ट खिलाडी–00																								
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग																								
कनिष्ठ अभियन्ता(सिविल) (डिग्री)																								
41	12	4	1	0	5	1	0	0	3	1	0	0	6	2	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 02 पद(HI-1,LD/CP-1), भूतपूर्व सैनिक–05, उत्कृष्ट खिलाडी–00																								
कनिष्ठ अभियन्ता(सिविल) (डिप्लोमा)																								
82	22	7	2	0	10	2	1	0	7	2	0	0	12	4	1	0	3	1	0	0	6	2	0	0
दण्डवत आरक्षण--विशेष योग्यजन 04 पद(HI-2,LD/CP-1 MI, ID, SLD &AUTISM-1), भूतपूर्व सैनिक–10, उत्कृष्ट खिलाडी–01																								
कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक/विद्युत) (डिग्री)																								
14	6	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 01 पद (HI-1), भूतपूर्व सैनिक–1, उत्कृष्ट खिलाडी–00																								
कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक/विद्युत) (डिप्लोमा)																								
27	9	2	1	0	3	1	0	0	3	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 02 पद(HI-1,LD/CP-1), भूतपूर्व सैनिक–03, उत्कृष्ट खिलाडी–00																								
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड																								
कनिष्ठ अभियन्ता(सिविल)(डिग्री)																								
59	15	5	2	1	6	2	1	0	5	2	0	0	9	2	1	0	2	0	0	0	5	1	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 02 पद(HI-01, LD/CP-1), भूतपूर्व सैनिक–07, उत्कृष्ट खिलाडी–01																								
कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)(डिप्लोमा)																								
15	5	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 01 पद (HI-01), भूतपूर्व सैनिक–01, उत्कृष्ट खिलाडी–00																								

कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)(डिग्री)																								
4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 00 पद, भूतपूर्व सैनिक–00, उत्कृष्ट खिलाडी–00																								
कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)(डिप्लोमा)																								
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 00 पद, भूतपूर्व सैनिक–00, उत्कृष्ट खिलाडी–00																								

(ख)अनुसूचित क्षेत्र के लिये :–

No. of Post	U.R.				S.C.				S.T.			
	सामान्य	सा.महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.महिला	विधवा	परित्यक्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग												
कनिष्ठ अभियन्ता(सिविल)(डिग्री)												
22	10	2	0	0	1	0	0	0	8	1	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 01 (HI-01) पद, भूतपूर्व सैनिक–02, उत्कृष्ट खिलाडी–00												
कनिष्ठ अभियन्ता(सिविल)(डिप्लोमा)												
05	03	0	0	0	0	0	0	0	02	0	0	0
दण्डवत आरक्षण– विशेष योग्यजन 01 (HI-01) पद, भूतपूर्व सैनिक–00, उत्कृष्ट खिलाडी–00												
कनिष्ठ अभियन्ता(विद्युत)(डिग्री)												
02	01	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0
दण्डवत आरक्षण– विशेष योग्यजन 01 (HI-01) पद, भूतपूर्व सैनिक–00, उत्कृष्ट खिलाडी–00												
कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)(डिप्लोमा)												
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 00 पद, भूतपूर्व सैनिक–00, उत्कृष्ट खिलाडी–00												
जल संसाधन विभाग												
कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिग्री)												
28	11	3	1	0	1	0	0	0	10	2	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 02(B/LV-01,HI-01)पद, भूतपूर्व सैनिक–04, उत्कृष्ट खिलाडी–00												
कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिप्लोमा)												
27	11	2	1	0	1	0	0	0	10	2	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 02 (B/LV-01,HI-01)पद, भूतपूर्व सैनिक–04, उत्कृष्ट खिलाडी–00												
कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)(डिप्लोमा)												
03	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 01 (B/LV-01)पद, भूतपूर्व सैनिक–00, उत्कृष्ट खिलाडी–00												
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग												
कनिष्ठ अभियन्ता(सिविल)(डिग्री)												
8	2	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 01(HI-1), भूतपूर्व सैनिक–01, उत्कृष्ट खिलाडी–00												
कनिष्ठ अभियन्ता(सिविल)(डिप्लोमा)												
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 01 (HI-1), भूतपूर्व सैनिक–00, उत्कृष्ट खिलाडी–00												
कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक / विद्युत) (डिप्लोमा)												
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण–विशेष योग्यजन 01 (HI-1), भूतपूर्व सैनिक–00, उत्कृष्ट खिलाडी–00												

नोटः–

1. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में रिक्त कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक/विद्युत) डिग्री/डिप्लोमा के पदों पर इसी विज्ञापन के माध्यम से अलग से आवेदन आमंत्रित किये जाकर इन पदों पर भर्ती संयुक्त भर्ती के अलावा अलग से परीक्षा आयोजित की जाकर कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक/विद्युत) के पदों की संयुक्त वरियता सूची बनाकर केवल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को अभ्यर्थी उपलब्ध करवाये जायेगें। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को अन्य विभागों की यांत्रिक एवं विद्युत के डिग्री/डिप्लोमा के पद पर वरियता सूची में शामिल नहीं किया जावेगा। उन्हें इसके लिये अलग से आवेदन भरना होगा तथा कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक/विद्युत) के डिग्री/डिप्लोमा के पदो पर अलग से आवेदन भरना होगा।
2. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेगें। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचति क्षेत्र के कॉलम में अंकन नही करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदो के लिये विचार नही किया जायेगा।
3. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये भी आवेदन कर सकते है।
4. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाडी एवं विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) होगा।
5. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

विशेष सूचनाः–

1. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षो के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षो की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।

परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रकिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार

पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षो में उपलब्ध हो।

2. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा।

3. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यथियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरणः– किसी वर्ग(अनारक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

4. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह–विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनो ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

5. अति पिछडा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछडा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।

6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।

7. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरूद्व चयन हेतु आरक्षित वर्ग(अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।

8. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।

9. बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हे बांरा जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश कमांक प.13(20) कार्मिक/क–2/91पार्ट दिनांक 21.05.2013 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।

10. भूतपूर्व सैनिकों हेतुः–

(क) भूतपूर्व सैनिको के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिक :–

(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।

(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।

भूतपर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानो के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.5(18) कार्मिक/क–2/84 पार्ट–II दिनांक 17.04.2018 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगें। इस अधिसूचना के अनुसार कोई भूतपूर्व सैनिक सेवानिवृत्त हो गया है या आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निराक्षेप प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) के आधार पर अपने पेंशन अर्जित करने के पश्चात् पद के लिये आवेदन करने का पात्र होगा, किन्तु उसे समूचित चयन अभिकरण को सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगाः–

1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,
2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

स्पष्टीकरणः– कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.05.2019 के अनुसार जब किसी सैनिक द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.04.2018 के तहत किसी पद हेतु आवेदन किया जाता हैं। तो ऐसे भूतपूर्व सैनिक के संबंध में यदि उसका सेवा निवृत्ति आदेश जारी हो चुका हैं और उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि (चाहे भविष्यवर्ती ही हो) का स्पष्ट उल्लेख हो, तो लिखित परीक्षा /मुख्य परीक्षा /साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन जैसी भी स्थिति हो की तिथि **तक सेवानिवृत्ति आदेश** प्रस्तुत कर दिये जाने पर उसे सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र माना जावेगा तथा इस आधार पर आवेदक को भूतपूर्व **सैनिक श्रेणी के लाभ** देय होगें। इस आदेश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर उनके सेवामुक्ति की तिथि तक कार्यग्रहण अवधि में शिथिलन प्रदान कर सकता हैं। यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नही करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रकिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियो की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष मे अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जावेगी।

11. उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतुः– उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य **प्रकिया** से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए–II/84 दिनांक 21–11–2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :–कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए–II/84 दिनांक 21–11–2019 के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाडी' ' से ऐसे खिलाडी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होंने :–

1. उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में **उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय** खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट /चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क.सं. 1	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2	टूर्नामेंट /चैंपियनशिप का नाम 3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स(ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/ विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ)	एशियन स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन(एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिपमें व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।"

नोटः– कृपया उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान–बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

12 दिव्यांगजन (निःशक्तजन) आरक्षण संबंधी प्रावधानः–

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में रिक्त कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिये :–
राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार एवं उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम 2(ख) के अर्न्तगत गठित समिति की बैठक दिनांक 04.12.2019 में लिये गये निर्णय के क्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 30.12.2019 के अनुसार एवं दिनांक 24.02.2020 को आयोजित बैठक के क्रम में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जारी बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 02.03.2020 के अनुसार लिये गये निर्णय के क्रम में निम्न लिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देय है :–
   a. HI (Deaf and Hard of Hearing)
   b. LD/CP (Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims and Muscular Dystrophy)

2. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में रिक्त कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिये :–
राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद के लिये निम्न दर्शायी गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को ही 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देय है :–
   a. HI (Deaf and Hard of Hearing);
   b. LD/CP (Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims and Muscular Dystrophy);
   c. Autism, Intellectual disability, Specific Learning disability and Mental Illness;
   d. Multiple disabilities from amongest Persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts indentified for each disabilities;

3. जल संसाधन विभाग,एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में रिक्त कनिष्ठ अभियंता के पदो के लिये :– राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार विशेष योग्यजन श्रेणी में निम्न श्रेणियों को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देय है :–
   a. B/LV (Blindness/Low vision);
   b. HI (Deaf and Hard of Hearing);
   c. LD/CP (Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims and Muscular Dystrophy);
   d. Autism, Intellectual disability, Specific Learning disability and Mental Illness;
   e. Multiple disabilities from amongest Persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts indentified for each disabilities;

विशेष नोटः–

i. दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछडा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

ii. उपरोक्त दर्शाए गए दिव्यांगजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को [illegible]

की जायेगी और यदि आगामी वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नही होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नही होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

iii. दिव्यांगजन आवेदक On line application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते है, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन **का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत** करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता **(विशेष योग्यजन) का** प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगजन होने पर ही अभ्यर्थी को विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

5. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :–

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगें। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है। कार्मिक(क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम–2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नही है, वहां पर संबंधित विभाग के नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित **अधिसूचना संख्या एफ. 19**(2) 80–एल–1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के कम में कार्मिक(क–2) विभाग ने अपने **परिपत्र कमांक प.13(20)** कार्मिक/क–2/91/पार्ट–3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

नोटः– अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रकिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण–पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनो की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यकम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर–अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

6. वेतनमानः–

राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतनमान के अनुसार **कनिष्ठ अभियंता** पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 एवं प्रारम्भिक वेतनमान 33800/– निर्धारित किया गया है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

7. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताः–

(क.सं 1 एवं 2 पर अंकित योग्यता उक्त सभी विभागो के लिये, क.सं 3 एवं 4 पर अंकित योग्यता सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लिये, क.सं. 5 एवं 6 पर अंकित योग्यता जल संसाधन विभाग के लिये तथा क.सं. 7 एवं 8 पर अंकित योग्यता केवल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिये) :–

(1) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिग्रीधारी) के पद हेतु :–
1. भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता।
2. देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

(2) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिप्लोमाधारी) के पद हेतु :–
1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल अभयांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवृत्ति परीक्षा छूट के प्रयोजन के लिए हो।
2. देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

(3) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) (डिग्रीधारी) के पद हेतु :–
1. भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता।
2. देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

(4) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) (डिप्लोमाधारी) के पद हेतु :–
1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त विद्युत अभयांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवृत्ति परीक्षा छूट के प्रयोजन के लिए हो।
2. देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

(5) कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) (डिग्रीधारी) के पद हेतु :–
1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यांत्रिकी अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता।
2. देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

(6) कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) (डिप्लोमाधारी) के पद हेतु :–
1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त यांत्रिक अभयांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवृत्ति परीक्षा छूट के प्रयोजन के लिए हो।
2. देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

(7) कनिष्ठ **अभियन्ता (यांत्रिक/विद्युत) (डिग्रीधारी) के** पद हेतु :–
1. भारत में **विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय** या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिकी/विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री
2. **देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।**

(8) **कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक/विद्युत) (डिप्लोमाधारी) के पद हेतु :–**
1. **किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक/विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इन्स्टीट्यूट** ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त **यांत्रिक/विद्युत अभयांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवृत्ति परीक्षा छूट के प्रयोजन के** लिए हो।
2. **देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।**

जो व्यक्ति पाठ्यकम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए कनिष्ठ अभियंता पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना **होगा**,–

1. [illegible]

2. साक्षात्कार म उपस्थित हाने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।

3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

नोटः– कनिष्ठ अभियंता भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो कनिष्ठ अभियंता भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले है या सम्मिलित हो रहे है परंतु उन्हें कनिष्ठ अभियंता भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता कनिष्ठ अभियंता भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

अन्य योग्यताऐं :–

(1) स्वास्थ्य :– उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) चरित्र :– सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके । उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य / शिक्षा अधिकारी केद्वारा प्रदत, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगें जो आवेदन–पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नही हो।

8. राष्ट्रीयता :–

1. (क) भारत का नागरिक हो, या
   (ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
   (ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
   (घ)ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1–1–62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
   (ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

   परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ) और (ड.) प्रवर्गो का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण–पत्र दे दिया हो।

   ऐसे अभ्यर्थियों के जिनके मामलें में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, आयोग या अन्य किसी भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा या साक्षात्कार के लिये बुलाया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्यधीन अनन्तिम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा।
2. अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तेः– इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबंधी उपबन्ध, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होगें जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

9. आयु :–

आवेदक 1, जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7/6/कार्मिक/क–II/2008 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार "जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नही दी जावेगी।"

स्पष्टीकरणः– उक्त सभी विभागों के लिये कनिष्ठ अभियंता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) (डिग्री/डिप्लोमा) के पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 03 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगीः–

1. आयु सीमा में छूट के प्रावधान :–
   (क) सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
   (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
   (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा मे थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जावेंगे।
3. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
4. उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।
5. एन.सी.सी. के कैडेट अनुदेशकों (Cadet Instructors) के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिमाणिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।
6. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे है की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जन्ट अस्थाई नियुक्तियों के मामलें में लागू नहीं होगी।
7. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत व्यक्तियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
8. रिलीज्ड इमरजेन्सी कमीशन्ड ऑफिसर/सोर्ट सर्विस कमीशन्ड सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेवा से रिहा होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हो, पात्र समझा जावेगा।

9. 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नही होगी।

10. बर्मा और श्रीलंका से 01.03.1963 को या इसके पश्चात् पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामलें में उपरिवर्णित उपरी आयु सीमा को 45 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा साथ ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के मामले में उसे 05 वर्ष और शिथिल किया जायेगा।

11. पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामलें में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

12. आयोग के कार्य–क्षैत्र के भीतर न आने वाले पदों पर भर्ती के लिए उन व्यक्तियों की, जिनकी रिक्ति के अभाव में या पद की समाप्ति के कारण राज्य सरकार की सेवा से छंटनी कर दी गयी थी, ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष होगी बशर्ते कि वे उन पदों पर, जिन पर से उनकी प्रथमतः छंटनी की गयी थी, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन विहित अधिकतम आयु सीमा में थे परन्तु यह तब जबकि भर्ती के सामान्य विहित माध्यमों की सम्यक् रूप से अनुपालना कर ली जाये और अर्हता, चरित्र, चिकित्सीय आरोग्यता आदि से संबंधित समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर ली जाये तथा उनकी छंटनी शिकायत या उपचार के कारण नहीं हुई हो और वे अंतिम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया गया अच्छी सेवाओं का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दें।

13. विधवाओं और विवाह–विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।

स्पष्टीकरणः– विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह–विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष शिथिल करने योग्य होगी।

नोटः–

(क) भूतपूर्व सैनिक/संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक भूतपूर्व सैनिक/संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो। आवेदक के अधिकायु का होने पर उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

(ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये संबंधित विभाग के उपरोक्त नियमों एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।

(ग) उपरोक्त बिन्दु 9 की क.सं. 1 से 14 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त क.सं. 1 से 14 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

10. पेंशनः–

नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

11. विवाह पंजीयन :– शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है । तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

12. परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि–

(क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 04.03.2020 से 02.04.2020 को मध्य रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.03.2020 से 02.04.2020 को मध्य रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाऐगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

13. परीक्षा का माह एवं दिनांकः– बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता के डिग्री एवं डिप्लोमा की परीक्षा अलग–अलग आयोजित करवाई जावेगी। परीक्षा बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्रो पर करवाई जायेगी। परीक्षा की तिथी, समय एवं स्थान के संबंध में सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :–सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपकमों में नियुक्त है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

15. नियुक्ति की अयोग्यताऐं :–

(1)किसी भी ऐसे पुरूष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(2)किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी महिला आवेदंक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।

(3)कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो ।

(4)ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती,

परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांट–छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred)कर दिया जायेगा।

16.आवेदन कैसे करे:–

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट– राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग **(क्रीमीलेयर** एवं नॉन **कीमीलेयर)** के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दे:–

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ–साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र वोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का On line Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगें, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टयाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जॉच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तो की पालना नही करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
6. अभ्यार्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

7.फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश

फोटो **अपलोड** करनें के लिए **दिशा–निर्देश** :–

a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड़ करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नही करें।
c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढ़का हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
f. यदि आप चश्मा पहनते है, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।
i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
l. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

8.हस्ताक्षर अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश :–

a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौडाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्केन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गयेआवेदक के हस्ताक्षर अपलोड़ हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
e. केवल जेपीईजी(JPEG)प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए
i. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष टिप्पणी:–

1. परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी(Answer Key) बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आंमत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/– रू जमा कराना अनिवार्य है। इसकी प्रकिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जावेगी।

2. परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानो पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन और रास्तों में तोडफोड, लूटपाट, हुडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाऐ रखें।

3. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपेन, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो, एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई–प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।

4. जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहा मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नही है। इन अनुदेशो का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनो की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मलित है।

5. सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.inपर उपलब्ध है।

6. परीक्षार्थी को ई–प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा–निर्देशो की पालना सुनिश्चित् करनी होगी।

17. **श्रुत लेखन की सुविधाः**–सामान्यतयाः सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या उंगलियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध करायें जायेंगें,परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।

18. **ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रकिया** :–यदि कोई अभ्यर्थी अपने आनलाईन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क. 300/– रूपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम के अलावा अन्य प्रविशिष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन **में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु** निर्धारित फीस जमा कराने की प्रकिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया के समान ही होगी। **इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में** किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

19. **प्रमाण–पत्रों का सत्यापनः**–आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाडी) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :–

1. जाति प्रमाण –पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ हैं।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के **जाति प्रमाण–पत्र नियमानुसार नवीनतम** जारी किये हुए होने आवश्यक हैं।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम **प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/माता** की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
5. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति** प्रमाण–पत्र On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना **चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद** जारी हुए प्रमाण–पत्र पर विचार नही किया जाएगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
7. शैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यकता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी, विशेष योग्यजन, चरित्र एवं अन्य आवश्यक समस्त मूल दस्तावेज।

20. **आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथामः**–आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही–सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करनेएवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination"तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016"के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

21. **कनिष्ठ अभियंता के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम** :– कनिष्ठ अभियंता के उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम अलग से बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवा दी जायेगी।

22. **बोर्ड की वेबसाइटः**–अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141–2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रंबध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर–302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(डॉ. मुकुट बी. जांगिड़)